

# 2021/236

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प सेवतलाव  
पीठासीन अधिकारी: श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सूरजमल पुत्र रावतसिंह जाति  
पुरोहित साकिन सेवतलाव  
तहसील बाली

तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- 100/2021

बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 08.10.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट हुई।


प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवतलाव के खसरा नम्बर 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1327/1392, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 996, 997 कुल खसरा-30 कुल रकबा 15.5300 हैक्टर स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम सूरजसिंह पुत्र रावतसिंह दर्ज हैं। अतः रेकर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सूरजमल पुत्र रावतसिंह दर्ज करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।


हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 35 पर प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम सूरजसिंह पुत्र रावतसिंह दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सूरजमल पुत्र रावतसिंह प्रस्तुत दस्तावेज यथा विजली बिल, मेडिकल डायरी, आधार कार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव व निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरुस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सेवतलाव के खसरा नम्बर 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1327/1392, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 996, 997 कुल खसरा-30 कुल रकबा 15.5300 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम सूरजसिंह पुत्र रावतसिंह को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सूरजमल पुत्र रावतसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फौसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी, बाली.  
कैम्प : शिवतलाव

आदेश आज दिनांक 08.10.2021 मजमें कैम्प में पक्षकारों को सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
कैम्प : शिवतलाव